UPGK010101912024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 4, गोरखपुर
उपस्थित – नन्द कुमार उच्चतर न्यायिक सेवा
आपराधिक निगरानी संख्या– 444/2024
श्रीमती फूलवासी ––––––बनाम–––––––– रामवचन व अन्य

दिनांक 10.04.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित नहीं है, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ती/परिवादिनी दिनांक 08.12.2025 से लगातार अनुपस्थित है। प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ती द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या–3621/2018 श्रीमती फूलवासी देवी –बनाम– रामवचन आदि, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.09.2021 के विरूद्ध संस्थित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा– 200 दं0 प्र 0 सं0 व साक्षीगण तुमनाथ व रिंकू के बयान अन्तर्गत धारा– 202 दं0 प्र 0 सं0 व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण रामवचन व गिरीजेश को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया है, जिससे निगरानीकर्ती क्षुब्ध थी। निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत निगरानी, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण सुरेश, शिवम, प्रियंका एवं मोनिका को प्रश्नगत प्रकरण में तलब न किये जाने के आधार पर संस्थित किया गया है एवं निगरानी के उनवान में विपक्षी रामवचन को मृतक दर्शाया गया है तथा विपक्षीगण को अन्तर्गत धारा– 147, 457, 380, 323, 504, 506, 120 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध में तलब किये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

चूंकि निगरानीकर्ती दिनांक 08.12.2025 से लगातार अनुपस्थित है तथा वह अपने निगरानी पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से सपष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है तथा उसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.09.2021 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निगरानीकर्ती की अनुपस्थिति में तद्नुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी संख्या– 444/2024 तद्नुसार निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या–3621/2018 श्रीमती फूलवासी देवी –बनाम– रामवचन आदि, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.09.2021 सम्पुष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित किया जाय । प्रस्तुत आपराधिक निगरानी नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक–10.04.2026

(नन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,
गोरखपुर
J.O.Code U.P.1702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.04.10 17:26:49 SRET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court